अज अदालत उपखण्ड अधिकारी बिलाड़ा, जिला–जोधपुर

व इजलास–मृदुला शेखावत, आर.ए.एस.

प्रार्थी बनाम अप्रार्थी

सुआदेवी एवं सरकार

किस्म मुकदमा 136 एल.आर. एक्ट

प्रकरण संख्या :– 227 / 2024

–::आदेश ::– दिनाकं :–

प्रार्थी ......सुआदेवी...................... पुत्री श्री ....अमराराम......... जाति........सीरवी.......... निवासी ....उदलियावास.... तहसील बिलाड़ा, जिला जोधपुर, राज. ने एक प्रार्थना पत्र बाबत् राजस्व रेकर्ड में नाम दुरूस्ती का पेश किया है। प्रार्थना पत्र को जॉच हेतु तहसीलदार बिलाड़ा को भेजा जावे।

तहसीलदार बिलाड़ा से जॉच रिपोर्ट प्राप्त हुई। जिसमें तहसीलदार बिलाड़ा ने अवगत करवाया है कि ग्राम ....उदलियावास.... की जमाबन्दी सम्वत् ....2073 से 2076.... के खाता सं. ....216.... में दर्ज अशुद्ध नाम ....सुआदेवी.... पुत्री ....अमराराम.... जाति ....सीरवी.... निवासी ....उदलियावास.... का शुद्ध नाम ....श्वेता पुत्री.... पुत्र ....अमराराम.... जाति ....सीरवी.... निवासी ....उदलियावास.... की राजस्व रेकर्ड मे शुद्धि किये जाने हेतु सहमत है। अतः जॉच रिपोर्ट व पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 136 एल.आर. एक्ट का स्वीकार किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(हस्ताक्षर)

उप खण्ड अधिकारी

बिलाड़ा